न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः—118—2017/रीडर/2018/558 दिनाँक 25.05.2018

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. द्वारकाप्रसाद पुत्र गंगाधर, कौम—लड्ढा(महेश्वरी), आयु—78साल, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. राधेश्याम पुत्र नारायण, 2. ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ, 3. लक्ष्मीनिवास पुत्र जगन्नाथ, 4. बद्रीनारायण पुत्र रामदयाल, 5. राधादेवी पत्नी सुखदेव बियाणी, 6. आनन्दप्रकाश पुत्र गंगाधर, 7. हरिप्रसाद पुत्र गंगाधर, समस्त,जाति—लड्ढा(महेश्वरी), निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. उपपंजीयक डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
सडीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **118/2017** दायर दिनाँक **05.05.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. द्वारकाप्रसाद पुत्र गंगाधर, कौम–लड्ढा(महेश्वरी), आयु–78साल, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. राधेश्याम पुत्र नारायण, 2. ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ, 3. लक्ष्मीनिवास पुत्र जगन्नाथ, 4. बद्रीनारायण पुत्र रामदयाल, 5. राधादेवी पत्नी सुखदेव बियाणी, 6. आनन्दप्रकाश पुत्र गंगाधर, 7. हरिप्रसाद पुत्र गंगाधर, समस्त,जाति–लड्ढा(महेश्वरी), निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. उपपंजीयक डीडवाना, जिला- नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 आपस में सगे भाई हैं स्वर्गीय गंगाधर लड्ढा के पुत्रगण हैं जो आबादी क्षेत्र कोलिया में आवास रहवास करते आ रहे है। शरहद मौजा कोलिया में खसरा नम्बर 32 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 34 रकबा 29.05 बीघा व खसरा नम्बर 1610 रकबा 01.04 बीघा, कुल रकबा 30.19 बीघा अवस्थित है। नकल पेश है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 118/2017
दायर दिनाँक 05.05.2017, निर्णय दिनाँक 25.05.2018
द्वारकाप्रसाद बनाम् राधेश्याम, वगैरा।

अनुतोष वादी है कि,

डिक्री बहक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि, शरहद मौजा कोलिया में खसरा नम्बर 32 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 34 रकबा 29.05 बीघा व खसरा नम्बर 1610 रकबा 01.04 बीघा की घोषणा खातेदारी की जाकर रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के वादी द्वारकाप्रसाद, गीतादेवी सोमाणी, बाबूलाल नाई व रामलाल काकड़ा के पेश हुए।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम कोलिया सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 272/248 की प्रमाणित प्रतिलिपि, ने पेश किये है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने दावा स्वीकार कर, दावानुसार डिक्री किया जाने का निवेदन किया। साक्ष्य वादी में शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के वादी द्वारकाप्रसाद, गीतादेवी सोमाणी, बाबूलाल नाई व रामलाल काकड़ा की ओर से पेश कर दावा डिक्री किया जाने की दलील वकील वादी कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी में आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हो चुके हैं इन सब के परिप्रेक्ष्य मे वाद वादी साबित करने में सफल हो जाता है, ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 118/2017
दायर दिनाँक 05.05.2017, निर्णय दिनाँक 25.05.2018
द्वारकाप्रसाद बनाम् राधेश्यम, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद ग्राम कोलिया में खेत खसरा नम्बर 32 रकबा 0.10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 34 रकबा 29.05 बीघा व खसरा नम्बर 1610 रकबा 01.04 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का नाम हटाया जाकर, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय, आज दिनाँक **25.05.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 118/2017 दायर दिनाँक 05.05.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. द्वारकाप्रसाद पुत्र गंगाधर, कौम—लड्ढा(महेश्वरी), आयु—78साल, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. राधेश्याम पुत्र नारायण, 2. ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ, 3. लक्ष्मीनिवास पुत्र जगन्नाथ, 4. बद्रीनारायण पुत्र रामदयाल, 5. राधादेवी पत्नी सुखदेव बियाणी, 6. आनन्दप्रकाश पुत्र गंगाधर, 7. हरिप्रसाद पुत्र गंगाधर, समस्त,जाति—लड्ढा(महेश्वरी), निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. उपपंजीयक डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 25.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद ग्राम कोलिया में खेत खसरा नम्बर 32 रकबा 0.10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 34 रकबा 29.05 बीघा व खसरा नम्बर 1610 रकबा 01.04 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का नाम हटाया जाकर, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत............. ....—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
खण्डडीडवाना
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner